न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 219 सन 2019
अनवान :–

1. पालाराम पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्योराम पुत्र श्योचन्द जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर
2. रायसिंह 3. दुलीचन्द 4. सुभाष पि0 श्योराम जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. कमला 6. विध्या 7 भन्तोंदेवी पुत्रीयान श्योराम जाति जाट साकिन रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 01/08/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 210/38 की कुल 2.5300हैक एवं रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 24/27 की कुल 4.5540हैक तथा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 25/25 की कुल 4.0480हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्योचन्द का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई जिन्होंने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने पर रोही मौजा चक 12 एनटीआर के प0न0 24/27 के प0न0 387/429(42) के किला न0 20 ता 22/0.7590हैक , प0न0 396/429(43) के किला न0 16 ,25/0.506हैक , प0न0 386/430(48) के किला न0 5/0.253हैक , प0न0 387/430(49) के किला न0 9 ,12 से 14 व 17 ,18 /1.518हैक प0न0 386/431(67) के किला न0 10 ,11 ,20/0.7590हैक 2.277हैक एवं रोही मौजा चक 16डीपीएन के खाता संख्या 210/38 के प0न0 374/441(17) के किला न. 23/0.253हैक , प0न0 374/422(52) के किला न0 3/0.253 ,4/0.253, 7/0.2530 ,8/.2530 ,13/.2530 ,14/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,23/0.2530 कुल 2.5300हैक हिस्से में आई है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्योचन्द के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पावों बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 चारो के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 210/38 की कुल 2.5300हैक एवं रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 24/27 की कुल 4.5540हैक तथा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 25/25 की कुल 4.0480हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्योचन्द का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई जिन्होने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने पर रोही मौजा चक 12 एनटीआर के प0न0 24/27 के प0न0 387/429(42) के किला न0 20 ता 22/0.7590हैक , प0न0 396/429(43) के किला न0 16 ,25/0.506हैक , प0न0 386/430(48) के किला न0 5/0.253हैक , प0न0 387/430(49) के किला न0 9 ,12 से 14 व 17 ,18 /1.518हैक प0न0 386/431(67) के किला न0 10 ,11 ,20/0.7590हैक 2.277हैक एवं रोही मौजा चक 16डीपीएन के खाता संख्या 210/38 के प0न0 374/441(17) के किला न. 23/0.253हैक , प0न0 374/422(52) के किला न0 3/0.253 ,4/0.253, 7/0.2530 ,8/.2530 ,13/.2530 ,14/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,23/0.2530 कुल 2.5300हैक हिस्से में आई है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्योचन्द के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया जा चुका है पेरोकार राज ने भी वादी के वाद के सम्बध में कोई आपत्ति नही की गई है वादी के वाद के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही हुआ है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 210/38 की कुल 2.5300हैक एवं रोही मौजा चक

Scanned with CamScanner

12 एनटीआर के खाता संख्या 24/27 की कुल 4.5540हैक तथा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 25/25 की कुल 4.0480हैक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्योचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्योचन्द का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई जो प्रस्तुत जमाबन्दी /पर्चा खतौनी से पूर्णत्या साबित है।

वाद भूमि वादी के दादा श्योचन्द के देहान्त होने पर विरासतन से वादी के पिता श्योराम के नाम से दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वय उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी साख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा का त्याग किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी साख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 210/38 की कुल 2.5300हैक एवं रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 24/27 की कुल 4.5540हैक तथा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 25/25 की कुल 4.0480हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पावों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसाल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/08/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसारे ईजलास मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. पालाराम पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी राममगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 श्योराम पुत्र श्योचन्द जाति जाट साकिन राममगढ तहसील नोहर
2 रायसिह 3. दुलीचन्द 4. सुभाष पि0 श्योराम जाति जाट निवासी राममगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. कमला 6. विध्या 7 भन्तोंदेवी पुत्रीयान श्योराम जाति जाट साकिन राममगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 219 सन 2019 निर्णय दिनांक–०१/०८/२०१९

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 210/38 की कुल 2.5300हैक एवं रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 24/27 की कुल 2.0240हैक तथा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 25/25 की कुल 2.277हैक भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पाचों बहिव के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक ०१/०८/२०१९ को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner